

# उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संख्या : ओ.यू./ 402 /2021

दिनांक : 11-08-2021

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा माननीया कुलपति जी के निर्देशानुसार कोविड महामारी के प्रकोप से जिनके माता/पिता/अभिभावक की मृत्यु हो गयी है, उनको विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में से किसी एक कार्यक्रम में उस कार्यक्रम की पूर्णावधि तक निःशुल्क प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुसंशानुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. जिस प्रवेशार्थी के माता/पिता/अभिभावक की मृत्यु हुई है, उनमें से कोई भी या स्वयं किसी सरकारी या अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत न हो या 30000/- रु. मासिक वेतन से अधिक वेतन की निजी सेवा में कार्यरत न हो।
2. यदि माता कि मृत्यु कोविड महामारी से हुई है और पिता बेरोजगार हो या अभिभावक बेरोजगार हो।
3. यदि पिता की मृत्यु कोविड महामारी से हुई हो तथा माता एवं अभिभावक बेरोजगार हो।
4. यदि माता/पिता न हो एवं अभिभावक की कोविड महामारी से मृत्यु हो जाये तो छात्र को निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत कोविड महामारी से मृत्यु का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. यह सुविधा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी, जो कि कार्यक्रम पूर्ण नहीं किए हैं, को भी अनुमन्य होगी।
7. ऐसे छात्रों को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. यह व्यवस्था कार्यक्रम की अवधि या एक वर्ष तक अनुमन्य रहेगी।
9. अध्ययन केन्द्र छात्रों का शपथ पत्र एवं पंजीकरण विवरण प्रवेश अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिसके पश्चात प्रवेश अनुभाग परीक्षणोपरान्त प्रवेश पैनल पर छात्र को निःशुल्क प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करेगा।



डॉ. (अरुण कुमार गुप्ता)  
कुलसचिव

पृ.संख्या : ओ.यू./ 402 /2021

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विश्वविद्यालय के समस्त निदेशक/अधिकारी/प्रभारीगण।
2. विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय समन्वयकों को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त के संदर्भ में अपने क्षेत्रीय केन्द्र से सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
3. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीया कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।
4. विश्वविद्यालय वेबसाइट।



डॉ. (अरुण कुमार गुप्ता)  
कुलसचिव

## शपथ-पत्र

नोट- निम्न शपथ पत्र प्रारूप को रू. 10/- के नान-ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। जो लागू न हो उसे काट (x) दें।

मैं श्री/श्रीमती/कु०.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
.....निवासी.....जनपद.....  
पिन .....(उ०प्र०) की निवासी/निवासनी हूँ।

मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं उ०प्र० की निवासी/निवासनी हूँ। आधार कार्ड की छायांकित एवं हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।
2. मेरे (माता/पिता/अभिभावक) की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है।
3. माता की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है एवं पिता अथवा अभिभावक बेरोजगार हैं।

अथवा

4. पिता की मृत्यु कोविड महामारी से हुई है एवं माता अथवा अभिभावक बेरोजगार हैं।

अथवा

5. मेरे माता/पिता/अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 से हुई है तथा उनमें से कोई भी किसी सरकारी या अर्धसरकारी अथवा निजी सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. मेरे माता/पिता/अभिभावक या स्वयं मेरी स्वयं की आय रू० 30000/- मासिक वेतन से अधिक नहीं है।

मैं सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि शपथपत्र में दी गई सूचनाएँ एवं संलग्न किए गए प्रपत्तादि मेरे निजी सज्ञान में पूर्ण रूप से सत्य है। जिसे आज दिनांक .....को अपना हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया है।

दिनांक:-

शपथी का हस्ताक्षर